न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया।

आपूर्ति अपील वाद संख्या–11/2012

लालो यादव

बनाम

राज्य (अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया।)

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1.	02	3.
6.9.16	**आदेश** प्रश्नगत अपील अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश ज्ञापांक–802, दिनांक 11.11.2011, जिसके द्वारा अपीलार्थी, जन वितरण प्रणाली विक्रेता की अनुज्ञप्ति संख्या–63A/2007 को रद्द किया गया है, के विरूद्ध अनुज्ञप्ति पुर्नजीवित करने के अनुरोध के साथ दायर किया गया है। अनुज्ञप्ति पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द करने के आधार के रूप में अपीलार्थी के जन वितरण प्रणाली के दुकान के भौतिक सत्यापन में चावल नहीं पाये जाने तथा उपभोक्ताओं से निर्धारित दर से अधिक राशि वसूल करने का आधार अंकित है। अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन में उल्लेख किया गया है कि उन्होंने बी0पी0एल का चावल एवं गेहूँ उठाव कर उपभोक्ताओं के बीच वितरति किया था, परन्तु अन्त्योदय का चावल उठाव नहीं किया जा सका क्योंकि गोदाम(जहाँ से खाद्यान्न लेना था) में चावल नहीं था। अपील आवेदन में उल्लेखित है कि जाँच के क्रम प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, अलौली द्वारा जिन उपभोक्ताओं का व्यान लिया गया उनमें से अधिकांश निरक्षर महिला थी। अपीलार्थी का यह भी कथन है कि उन्हीं महिलाओं द्वारा बाद में उनके समर्थन में शपथ पत्र दाखिल किया गया है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा भी सुनवाई के क्रम में समरूप तथ्य प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थी के तर्कों का खंडन करते हुए विशेष लोक अभियोजक (आवश्यक वस्तु अधिनियम), खगड़िया द्वारा बताया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेता की अनुज्ञप्ति रद्द किया जाना न्यायोचित है क्योंकि उपभोक्ताओं की शिकायत तथा विधिवत जाँच के उपरांत रद्द करने की कार्रवाई की गयी है। अपीलार्थी का अपील आवेदन खारिज करने योग्य है। वस्तु स्थिति के परिशीलन हेतु निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। आदेश के पठन से अपीलार्थी के विरूद्ध की गयी कार्रवाई का कारण स्वतः स्पष्ट है। उपभोक्तओं द्वारा प्रारंभ में विक्रेता के विरूद्ध शिकायत करने और पुनः विक्रेता के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत करने से अपीलार्थी का पक्ष मजबूत नहीं माना जा सकता है। क्योंकि इस तरह की कार्रवाई अक्सर अनुर्वति प्रभाव में घटित होती है। निर्धारित मूल्य से अधिक दर प्राप्त किया जाना एक गंभीर कृत्य है। जिसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द	

Received for editing 20/10/2016

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3.
	करने की कार्रवाई की गयी है। उक्त स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा प्रश्नगत अनुज्ञप्ति को रद्द किये जाने से संबंधित आदेश ज्ञापांक–802 दिनांक 11.11.2011 में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। आदेश को यथावत रखा जाता है। लेखापित एवं संशोधित जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया डी0बी0 10(50) / विधि, दिनांक 6.9.2016 प्रतिलिपि :–अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को आदेश की प्रति, जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित। 6/9/2016 प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, खगड़िया।	